राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः F26(4)( ) आ.बा.चलों अभि./IEC/ICDS/2017/ 12634-66 जयपुर दिनांक : 6-7-18

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)

विषयः— आंगनबाडी केन्द्रों पर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम मनाया जाने संबंध में।

संदर्भः—विभाग का पूर्व पत्रांक 97203—35 दिनांक 31.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि सभी **आंगनबाडी केन्द्रों पर दिनांक 15 जून से 30 जून, 2018 तक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम मनाया जाना है।** इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा—सहयोगिनी अपने सर्वे क्षेत्र के प्रत्येक घर में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके आईसीडीएस की मुख्य सेवाओं की जानकारी प्रदान करेगी। वे सर्वे क्षेत्र में आने वाले सभी लाभार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें लाभान्वित करेंगी। जो बच्चे 3—6 वर्ष के आयु वर्ग के है किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा से वंचित है, उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्र पर ईसीई के तहत पंजीकृत करके नियमित रूप से केन्द्र पर लाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इसी क्रम में लेख है कि अब **आंगनबाडी केन्द्रों पर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की तिथि को दिनांक 15 जून से 30 जून, 2018 से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2018 की जाती है।** अतः **15 जुलाई, 2018 तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम मनाया जाना** है। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर **12 जुलाई, 2018 को प्रवेशोत्सव दिवस के रूप मनाया जाए**, इस दिन आंगनबाड़ी केन्द्र पर नवीन पंजीकृत बच्चों को प्रवेशोत्सव मनाया जाए।

इसके अतिरिक्त **13 जुलाई, 2018 को सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभिभावक बैठक (PAM) आयोजित** करें, जिसमें नवीन पंजीकृत बच्चों के अभिभावक को बैठक में उपस्थिति हेतु निमंत्रण भी देवें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी को उपरोक्तानुसार दिशा—निर्देश जारी करना सुनिश्चित करावें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः F26(4)( )आ.बा.चलों अभि./IEC/ICDS/2017/ 12607-373 जयपुर दिनांक : 6-7-18

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, जयपुर।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त
4. एसीपी (उप निदेशक) को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (आईईसी)
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर